IV 21/15

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 356185

फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 14.05.2015 को लालगंज में श्री अखिलेश मौर्य पुत्र श्री ननकू मौर्य ग्राम –हरईरामपुर, पोस्ट–चिरकिहिट, विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील–लालगंज, जिला – आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रुपया 6000/– (छः हजार मात्र) की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योंकि यह ट्रस्ट फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा। जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

Akhilesh Maurya

क्रमशः...2

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 957842

2 क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जो कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान उपकरण ऋण आदि भी सम्मिलित हैं जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता /संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 6000/– (छः हजार रूपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम –हरईरामपुर, पोस्ट–चिरकिहिट, विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील–लालगंज, जिला – आजमगढ़ उ0प्र0 रहेगा, एवं प्रशासनिक कार्यालय, ग्राम –हरईरामपुर, पोस्ट–चिरकिहिट, विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील–लालगंज, जिला – आजमगढ़ उ0प्र0 होगा अधिक सुविधाजनक स्थान न मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट नियम उद्देश्यों पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जू0हा0 स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा संकाय, शारीरिक शिक्षा संकाय, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं , चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों,

क्रमशः...3

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 957843

अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध, आबद्ध प्रबन्धन संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्थानों, शासन आदि से मान्य सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत , अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।

2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटावा रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड ,कपार्ट ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथीरैपी आदि मेडिकल तथा पैरामेडिकल कालेजों, पालिटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग बी0 फार्मा, एम0 फार्मा आदि कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

क्रमशः...4

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 957844

11. समाज के लोगों के लिए हास्टल , नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, फोटो स्टेट, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय , वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का का निर्धारण करना।

13. अन्धे, गूँगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास भोजन, इत्यादि की व्यवस्था करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्शल, आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों की विभिन्न स्तरी शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रम आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम अधिवेश, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगितायें बैठकें विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।

क्रमशः..5

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार लालगंज

01 MAY 2015

उप रोकड़िया के ह०............

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570308

(5)

20 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहायोग से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन कर सकना।

23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार--प्रसार कर सकना।

25. पुस्तक, पुस्तिकायें पत्र, पत्रिकायें समाचार--पत्र आदि को प्रकाशित,सम्पादित वितरित विक्री कर सकना।

26. ट्रस्ट द्वारा जी रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।

28 उपभोक्ता अधिकार , पर्यावरण, सुधारी, ऊसर जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

30 जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वन कर सकना।

31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

क्रमशः..6

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY

उप कोषागार लालगंज

01 MAY 2015

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570309

32. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों , टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

33. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में बृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।

34. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट तथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ण्जा, तालाओं का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचास कर सकना।

35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

36. ट्रस्ट अपने समस्य आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों क पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

37. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लीनिक का निर्माण करना।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन ब्रीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किए गये माल का आयात, निर्यात करना।

39. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील के लिए जिला, प्रदेश, देश पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

40. दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।

क्रमशः..7

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उपकोषागार सदर मिर्जापुर

01 MAY 2015

उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570310

41. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।

42. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।

43. सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध करना।

2. <u>प्रारम्भिक उपबन्ध</u>--

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **अखिलेश मौर्य पुत्र श्री नन्हकू मौर्य** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्याय विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्ट अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी **अखिलेश मौर्य पुत्र श्री नन्हकू मौर्य** द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय जो **अखिलेश मौर्य पुत्र श्री नन्हकू** मौर्य की मृत्यु के पश्चात् उनके सबसे बड़े पुत्र इस ट्रस्ट के ट्रस्टी/अध्यक्ष होंगे।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकता है।

3. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

क्रमशः..8

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs. 50

उप कोषागार लालगंज

01 MAY 2015

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570311

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को दिया गया। कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

क्रमशः..9

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
01 MAY 2015
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AP 570312

4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज

1. न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्न है--

(क) शम्भूनाथ मौर्य पुत्र श्री रामखबर मौर्य, ग्राम -- टिकरिया, पोस्ट--जगदीशपुर, जिला --आजमगढ़।

(ख) प्रियंका मौर्या पत्नी अखिलेश मौर्य, ग्राम --हरईरामपुर, पोस्ट--चिरकिहिट, जिला --आजमगढ़।

(ग) सैफजैदी पुत्र स्व0 सैय्यद अमीर काज़िम, ग्राम व पोस्ट--करबा देवगाँव, जिला --आजमगढ़।

(घ) प्रशान्त मौर्य पुत्र शम्भूनाथ मौर्य, ग्राम -- टिकरिया, पोस्ट--जगदीशपुर, जिला --आजमगढ़।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझें तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

4. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः..10

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs. 50

उप कोषागार लालगंज

01 MAY 2015

धनराशि रु0.........

उप निबन्धक रु0.........

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570313

6. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। उस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. <u>अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं—</u>

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाना है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6. <u>कार्यक्षेत्र—</u>

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

7. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार—</u>

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों

क्रमशः..11

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

01 MAY 2015

Rs. 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570314

में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो भी सभी सम्बन्धी पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. सचिव / उपसचिवों की नियुक्ति –

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव / उपसचिव के वेतन भत्ते सुविधायें, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उक्त सचिव / उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक / अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है।

9. उपाध्यक्ष की नियुक्ति–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष / उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

क्रमशः...12

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 028195

3. यह कि उपाध्यक्ष / उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्ट / अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनान्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य--

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष / ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष / ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगें।

क-- बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

ख-- ट्रस्ट के सभी कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

ग-- इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन / परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य--

अध्यक्ष / ट्रस्टी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयों पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य--

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है, ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं--

क्रमशः..13

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 028196

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रिया--कलापों एवं दिन प्रतिदिन गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठों / विभागों केन्द्रों / संस्थाओं / उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों / निर्देशकों पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम / उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उसका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार / प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

13. <u>उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

1. सचिव की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों / कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार / कर्तव्यों का पालन करना।

क्रमशः..14

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AA 028197

14. बैंक एकाउण्ट खोलना/संचालन करना--

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. विधिक कार्यवाही--

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एंव विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16. सम्पति सम्बन्धी--

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतयाः समर्थ एवं अधिकृत है।

क्रमशः..14

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

27AA 028198

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान ,उपहार, आग्रह ,भेंट ,सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह,मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट के धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. चल–अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

17. विशेष :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ ईकाई/ कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगें।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का स्वविवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत की गयी किसी कार्यवाही को किन्हीं भी किसी

Akhilesh Maurya

क्रमशः..15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

27AA 028204

न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, <u>फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट</u> की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें संहित <u>फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट</u> के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित घोषित / स्वीकृत / आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों के उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी / ट्रस्टी

1. नाम : सलाहुद्दीन s/o अबुल कलाम

पता : ग्रा० पो० कटौली कलां त० लालगंज आजमगढ़

अखिलेश मौर्य

Akhilesh Maurya

संस्थापक / अध्यक्ष

फाउन्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट

ग्राम –हरईरामपुर, पोस्ट– चिरकिहिट विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील–लालगंज जिला – आजमगढ़ उ0प्र0

2. नाम : [illegible] ग्राम व पो० चिरकिहिट तह– लालगंज आजमगढ़

पता :

टंकणकर्ता – [illegible]

मसविदाकर्ता– [illegible] लालगंज आजमगढ़

दिनांक – 14.05.2015

Akhilesh Maurya

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 672231

फाउण्डेशन एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा नामित व्यक्तियों एवं पद का विवरण निम्नवत है –

1. शम्भूनाथ मौर्य पुत्र रामखबर मौर्य (अध्यक्ष) ग्राम– टिकरिया, पो0–जगदीशपुर, आजमगढ़।
2. सैयद अमीर असकरी पुत्र स्व0 सैयद मोहम्मद अमीर (उपाध्यक्ष), 450/264 हैदर कालोनी मुफ्तीगंज हुसैनाबाद, लखनऊ।
3. अखिलेश मौर्य पुत्र श्री नन्हकू मौर्य (प्रबन्धक), ग्राम–हरईरामपुर, पोस्ट–चिरकिहिट, जिला–आजमगढ़।
4. सैफजैदी पुत्र स्व0 सैय्यद अमीर काजिम (महामंत्री), ग्राम व पोस्ट–करबा देवगाँव, आजमगढ़।
5. प्रियंका मौर्या पत्नी श्री अखिलेश मौर्य (कोषाध्यक्ष) ग्राम–हरईरामपुर, पोस्ट–चिरकिहिट, जिला–आजमगढ़।
6. प्रशान्त मौर्य पुत्र शम्भूनाथ मौर्य (सदस्य), ग्राम– टिकरिया, पोस्ट–जगदीशपुर, आजमगढ़।
7. सैय्यद मोहम्मद सज्जाद पुत्र रियाज अहमद हुसैनी (सदस्य) ग्राम–दुलहीपुर पोस्ट–मुगलसराय, चन्दौली।
8. राकेश मौर्य पुत्र दुर्बाशा मौर्य (सदस्य), ग्राम–अवनी, पोस्ट– पकड़ीकला, जिला–जौनपुर।
9. नाजिया जैदी पत्नी साकिब रजा रिजवी (सदस्य), मुगलपुरा नीयर टाट शाह मस्जिद फैजाबाद।
10. राकेश मौर्य पुत्र रामअचल मौर्य (सदस्य) ग्राम– भोरगऊ, पोस्ट–फूलपुर, आजमगढ़।
11. राजेश मौर्य पुत्र इनरमन (सदस्य) ग्राम–हीरापुर मचहटी, पोस्ट–बरडीहा, जिला–जौनपुर।

Akhilesh Maurya